खंड ३ संख्या १०

बिहार विधान-सभा वादवृत।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि २८ मार्च १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान परिषद् से प्राप्त सन्देश।

Message received from the Legislative Council.

लेखा पदाधिकारी—महोदय, बिहार विधान परिषद् से तीन संदेश प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मैं पढ़कर सुना देता हूँ:—

(1) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 26th March 1958, agreed without any amendment to the University of Bihar (Amendment) Bill, 1958, which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 18th March 1958.

(2) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 27th March 1958, agreed without any amendment to the Patna University (Amendment) Bill, 1958, which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 18th March 1958.

(3) The the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 27th March 1958, considered and agreed without any recommendation to the Bihar Appropriation (Vote on Account) Bill, 1958, which was passed by the Bihar Legislative Assembly on the 24th March 1958.

गैर-सरकारी-संकल्प

Non-official Resolutions.

बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड ऐक्ट को राज्य के सभी नोटिफायड एरिया में लागू करना।

IMPLEMENTATION OF THE BIHAR PRIVILEGED PERSONS HOMESTEAD ACT IN ALL THE NOTIFIED AREAS OF THE STATE.

***श्री रामदेव सिंह**—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

यह सभा बिहार सरकार से सिफारिश करती है कि दि बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड ऐक्ट को राज्य के सभी नोटिफायड एरिया में लागू करने की व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय, हाउस (सदन) के सामने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मैं इसके विषय में दो-चार शब्द कह देना चाहता हूँ। यह कानन सन् १९४७ में इस

हाउस (सदन) के सामने उस समय के राजस्व मंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने उपस्थित किया था।

अध्यक्ष—श्री कपिलदेव सिंह ने इस संकल्प में इस एक संशोधन की सूचना दी है जिसे मैं नामंजूर करता हूँ। एक और संशोधन श्री मिश्री सिंह ने इसी संकल्प में दिया है कि संकल्प की तीसरी पंक्ति में शब्दों "नोटिफायड एरिया" और शब्द "में" के बीच शब्द " एवं युनियन क्षेत्र" जोड़े जांय। श्री मिश्री सिंह को इस सम्बन्ध में पीछे बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन अभी माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—हुजूर, एक मेरा भी संशोधन है कि इस संकल्प में शब्दों "युनियन कमिटी" जोड़ दिये जांय।

अध्यक्ष—मैं इसे नामंजूर करता हूँ। संशोधन देने का यह समय नहीं है और यह आइडेन्टिकल भी है।

श्री रामदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मिश्री सिंह के संशोधन को स्वीकार कर लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पहले-पहल यह कानून उस समय के मंत्री, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने १९४७ में पेश किया था। पेश करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि हजारों लोग जिन्हें मकान और जमीन से बेदखल हो जाना पड़ता है और जिन्हें जमींदार अपनी सेवा के लिए बसा लेते हैं, किन्तु जब उनके मन के खिलाफ कुछ हुआ और वे कुछ रंज हो गये तो उन्हें जमीन से बेदखल कर देते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था।

अध्यक्ष—अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले आपको कह देना चाहिये कि राज्य में कहाँ-कहाँ यह कानून लागू है और कहाँ-कहाँ नहीं लागू है।

श्री रामदेव सिंह—इस ऐक्ट के क्लोज ३ (बी) में है जो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है कि यह सिर्फ दिहातों में ही लागू होगा। युनियन कमिटी, नोटिफायड एरिया या म्युनिसिपल एरिया में यह लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष—तब तो इस ऐक्ट में अमेन्डमेंट (संशोधन) कर सकते हैं।

श्री रामदेव सिंह—मेरा ख्याल है कि वह ऐक्ट उन हजारों गरीबों के पक्ष में था जब वह कानून बनी थी। मैं यह भी समझता हूँ कि इस पर दो रायें नहीं हो सकती हैं। इस कानून के बनने के बाद कितने लोगों को बेघर होने से बचाया गया, कितने को बेदखली से बचाया गया, यह तो सरकार ही बता सकती है। मेरा ख्याल है कि कानून बनने के बाद भी वह कानून कागजों में, सरकारी दफ्तरों में ही सीमित रहा। इस कानून के बनने के बाद भी कितने लोगों को घर से हटाया गया, कितने लोगों को घर से बेदखल किया गया, और घर से निकाल दिया गया। जहाँ तक कानून की

बात है उस कानून के पास होने के बाद भी कुछ हिस्से इससे वंचित रखे गये, जैसे म्युनिसिपल एरिया, नोटिफायड एरिया तथा युनियन कमिटि का एरिया।

अध्यक्ष—कहाँ-कहाँ यह कानून लागू है?

श्री रामदेव सिंह—जहाँ-जहाँ नोटिफायड एरिया कमिटी है, युनियन कमिटी है तथा म्युनिसिपैलिटी है उन जगहों को छोड़कर सभी जगहों में कानून लागू है। दिहातों में हर जगह यह कानून लागू है।

अध्यक्ष—आपने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि:

यह सभा बिहार सरकार से सिफारिश करती है कि दि बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड ऐक्ट को राज्य के सभी नोटिफायड एरिया में भी लागू करने की व्यवस्था करे। इसका अर्थ तो होता है कि कुछ नोटिफायड एरिया कमिटी में लागू है। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ यह लागू नहीं है और कहाँ-कहाँ लागू है इसको आप सीधे तरीके से नहीं बतला रहे हैं।

श्री रामदेव सिंह—नोटिफायड एरिया में, युनियन कमिटी में और म्युनिसिपल एरिया में यह लागू नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इसे सभी नोटिफायड एरिया में भी लागू किया जाय।

अध्यक्ष—आपने सभी नोटिफायड एरिया में लागू करने के लिए लिखा है। सभी का माने होता है कि कहीं है और कहीं नहीं है।

श्री रामदेव सिंह—यह दिहाती क्षेत्रों में लागू है लेकिन किसी भी नोटिफायड एरिया में लागू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह सभी नोटिफायड एरिया में भी लागू हो। राज्य में २७ नोटिफायड एरिया कमिटी हैं, उन सभी जगहों में इसे लागू करने की व्यवस्था की जाय, यही मेरा कहना है।

सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह आदमी जो जमीन के मालिक की मर्जी से उसकी जमीन में मकान बनाया, चाहे वह पक्का हो, मिट्टी का हो या खपड़ैल हो। उसने रहने के लिए मकान बनाया और उसमें रहने लगा तो कभी भी उस जमीन का मालिक उसे उस जमीन से अलग नहीं कर सकता है, उसको कभी उससे बेदखल नहीं किया जा सकता है, कभी हटाया नहीं जा सकता है। अगर उसे जमीन नहीं है या अगर जमीन हो भी तो एक एकड़ से कम हो तो ऐसी हालत में कभी भी उसे घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की व्यवस्था नोटिफायड एरिया कमिटी के लिए भी हो जाय क्योंकि वहाँ के लोगों को भी उन्हीं लोगों की तरह जिन्दगी बसर करनी पड़ती है और सभी हालत में दोनों की स्थिति एक सी हो है। नोटिफायड एरिया के बहुत से सवाल आते हैं कि वहाँ के जमीन्दार लोगों ने मकान दिया है और अब वे उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं इसका उदाहरण भी दूँगा। बड़हिया के सर्किल अफसर ने लिखा है कि वहाँ हरिजनों को तथा और भी गरीब लोगों को घर से वंचित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। वहाँ के मजिस्ट्रेट को भी वही शिकायत है। जब ये लोग कोर्ट में नालिश करते हैं तो मजिस्ट्रेट उन्हें मदद करना भी चाहते हैं तो वे लाचार रहते हैं चूंकि इस तरह

का कानून अभी वहाँ नहीं है। जमीन्दार लोग तरह-तरह के बहाने लगा-लगा कर लोगों को घर से बेदखल कर रहे हैं। इसलिये इस प्रस्ताव को सदन के सामने उपस्थित करते हुए सदन से माँग करता हूँ कि इस कानून को नोटिफायड एरिया में भी लागू करने की व्यवस्था की जाय।

श्री मिश्री सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

शब्द "नोटिफायड एरिया" एवं शब्द "में" के बीच शब्द 'एवं युनियन क्षेत्र" जोड़े जायें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्तावक महोदय की, इस प्रस्ताव के पीछे, क्या मन्शा है इसको उन्होंने व्यक्त कर दिया है। अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसा संशोधन लाने के लिए मैंने आज से ५ वर्ष पूर्व ही तत्कालीन मंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय से अनुरोध किया था लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो सका। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय भी युनियन कमिटी में और नोटिफायड एरिया में ऐसे लोग हैं जिनको हर वक्त घर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस संशोधन को यदि अविलम्ब नहीं पास किया गया तो बहुत गरीब मजदूर तथा हरिजनों को उजाड़ दिया जायगा क्योंकि गरीबों में ऐसे लोग तो ज्यादातर हरिजन ही हैं। यह जनहित के लिए परमावश्यक है। इसलिए मैं इस संशोधन को इस प्रस्ताव के साथ हाउस (सदन) के सामने रखकर निवेदन करूँगा कि सदस्यगण इसे सहर्ष स्वीकार कर लें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प अभी सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसको बहुत ही महत्व का संकल्प मानता हूं, इसलिये उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपने प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं और विशेषकर जो देहातों में रहते हैं उनको यह पता है कि बिहार होमस्टेड पर्सन्स ऐक्ट बना हुआ है लेकिन फिर भी जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं वे अपनी जमीन और घर से बेदखल किये जा रहे हैं। खास तौर से पिछले ५, ७ सालों के अन्दर बहुत बेदखली हुई है। अपने प्रान्त में जिस तरह जमीन से लोग बेदखल किये जा रहे हैं उसी तरह से घर से भी लोग बेदखल किये जा रहे हैं। आज से दो साल पहले जब बड़हिया में प्रान्तीय सर्वोदय सम्मेलन हुआ था तो वहां मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय गरीब लोग जो हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं वे मेरे पास आये थे। हमारे साथी श्री कपिलदेव सिंह ने मुझे यह सूचना दी थी कि वहां के गरीबों को, जो मालिक की जमीन में बसे हुए हैं, वहां से उजाड़ा जा रहा है। गरीबों पर तरह-तरह के मुकदमे चलाये जा रहे हैं। मुकदमे में मालिक कहते हैं कि वह गरीब वहां पर बसा हुआ नहीं है, जमीन तथा घर उसके कब्जे में नहीं है, घर में वह किराये पर रहता है। मैंने वहां जाकर तहकीकात की और गांव के लोगों से पूछा तो पता चला कि मालिक उनको उजाड़ने के लिये झूठ-मूठ मुकदमा चलाते हैं। ताजपुर थाने के दीहरा गांव का भविक्षण नाम का एक गरीब आदमी तीन साल पहले मेरे पास आकर यह कहा कि मालिक उसके घर को उजाड़ देना चाहते हैं।

अध्यक्ष—जहां कानून लागू है वहां की दशा आप बताना चाहते हैं या जहां कानून नहीं लागू है वहां की दशा?

श्री कर्पूरी ठाकुर—बड़हिया की बात मैं बताता हूं जहां यह कानून लागू नहीं है। फिर भी घर उजाड़े जाते हैं और झूठे मुकदमे गरीबों पर चलाये जाते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि देहातों में भाड़े का कोई भी घर नहीं रहता है जिससे हर महीने मालिक को किराये का रुपया मिलता है। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। लक्खीसराय के अंचलाधिकारी श्री एस०आर० प्रसाद तथा दूसरे अंचलाधिकारियों ने सरकार के पास यह लिखा कि यदि इस कानून को लागू नहीं किया जायगा तो गरीबों को घर से बेदखल किया जायगा। लक्खीसराय के अंचलाधिकारी श्री एस० डी० सिंह ने भी लिखा था कि इस कानून को लागू नहीं किया गया तो मालिक गरीबों को उजाड़ कर ही दम लेंगे। इसलिये नोटिफायड एरिया की बात मैं आपके सामने रखता हूं। सरकार कहती है कि जिस गरीब का घर उजाड़ा जायगा और वह दरखास्त देगा तो एस०डी०ओ० और कलक्टर उसकी जांच करके मुनासिब कारंवाई करेंगे। कहा गया है कि गांव के जो मुखिया और सज्जन होंगे वे किसी बात की सूचना सरकार को देंगे तो कारंवाई होगी लेकिन मैं जानता हूं कि तीन-तीन वर्षों से दर्खास्तें पड़ी हुई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सरकार की ओर से एक इंक्वायरी (जांच) की जाती है, फिर दूसरी इंक्वायरी (जांच) की जाती है, फिर तीसरी इन्क्वायरी (जांच) की जाती है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता है। जिस हरिजन का घर उजाड़ दिया गया है उसका घर आज तक नहीं बन पाया है। श्री मिश्री सिंह ने जो संशोधन हाउस (सदन) के सामने प्रस्तुत किया है वह बिलकुल ठीक है। दर्लसिगसराय बाजार में एक बारो पासवान नाम का व्यक्ति है। वह अपने मालिक की जमीन पर करीब ३० वर्षों से एक झोपड़ी बनाकर रह रहा था। उस झोपड़ी पर उसने खपड़ा भी चढ़ा दिया था। मालिक ने कोशिश की कि वह किसी तरह से उसकी जमीन पर से घर हटा ले। उसे लाख धमकी दी गई लेकिन वह वहां से अपना घर नहीं हटाया। मालिक के सिपाहियों ने बार-बार आकर तंग करना शुरू किया। इसकी सूचना वह दरभंगा के कलक्टर और राजस्व मंत्री को भी दिया। इसकी जांच हुई तो पता चला कि मालिक उस हरिजन के साथ जबर्दस्ती करता है। उस पर १०७ की कारंवाई हुई लेकिन फिर वह मालिक और उसके सिपाही छोड़ दिये गये। दूसरे दिन मालिक ने कुछ लठैतों के साथ ४ बजे भोर में उसके घर पर धावा बोल दिया। उस दिन बारो पासवान बछबारा थाना में एक बाराती पार्टी में टमटम लेकर गया हुआ था। मालिक ने सोचा कि आज उसके घर में मर्द नहीं है, इसलिये आज ही सबसे अच्छा मौका है। ४ बजे भोर में मालिक ने अपने लठैतों और आदमियों के द्वारा उसका घर लूट लिया। घर तोड़-फोड़ दिया गया। यहां तक कि उसके घर पर के खपड़े भी ट्रक पर लादकर मालिक ने ले भागा। उसके घर के पेटी, लोढ़ी, सीलौट, मूसड़, सुग्गा के पिंजड़ा, गल्ला इत्यादि सभी चीजें लूट ली गयीं। जब वह हरिजन घर लौटकर आया तो इस मामले को थाना में दायर किया। उस गरीब हरिजन को कोई भी गवाह नहीं मिला। बड़े आदमी से गवाही देने वाले भी डरते हैं। मालिक ने इस बात को फैला दिया कि उसका मकान आंधी में उड़ गया तो दारोगा ने भी डायरी में यही बात लिख दी। १५ रोज के बाद वह गरीब हरिजन मेरे पास आया और उसने सब हाल कहा। मैंने वहां जाकर इस बात की तहकीकात की तो पता चला कि घटना सच्ची है। हमने चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री), रेवेन्यु मिनिस्टर (राजस्व मंत्री), कलक्टर, एस०डी०ओ० सभी जगह इस बात की जानकारी दर्खास्त द्वारा दी। इसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी (न्यायायिक जांच) हुई तो पता चला कि ये सभी बातें ठीक हैं। यह केस सेशन कोर्ट में

सुपुर्द हुआ। सेशन जज ने कहा कि यह सही है कि इस गरीब हरिजन का घर लूट गया लेकिन एक तरफा गवाही होने के कारण वह केस एक्सपार्टी (एकपक्षीय) हो गया। यह तो हमारे यूनियन कमिटी में एक भयंकर घटना कही जा सकती है।

अंचलाधिकारी, बड़हिया के बारे में कहा जाता है कि वह सरकार के पास लिखा है कि १०, २० बार एडजौर्नमेंट लेकर मालिक गरीबों को तबाह करते हैं और उन्हें आखरी तारीख का पता भी नहीं चलने देते हैं। इसलिये मेरा कहना है सरकार जल्द से जल्द इस कानून को नोटिफायड एरिया में लागू करे ताकि हरिजन जिस जमीन पर बसे हुए हैं उस जमीन पर से नहीं हटाये जायं। जो हटा दिये गये हैं उन्हें सरकार की ओर से बसाने का प्रबंध होना चाहिये।

(अंतराल।)

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आये दिन नोटिफाइड एरिया की यूनियन कमिटी में......

अध्यक्ष—इसपर सरकार की क्या राय है उस विषय को आप जानना चाहते हैं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी हां। तो मैं कह रहा था कि नोटिफाइड एरिया की यूनियन कमिटी में जो होता है उसकी गंभीरता पर सरकार को विचार करना चाहिये। इसके लिये सरकार को अविलम्ब कदम उठाना चाहिये। यह जो मौका आया है उसके लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कानून का उपयोग जिस ढंग से हो रहा है उसमें सुधार लाना चाहिये। गरीबों का घर उजाड़ दिया जाता है और अधिकारियों द्वारा जो इस कार्य में ढिलाई दिखाई जाती है, तो क्या ही अच्छा होता कि सरकार यह फैसला ले लेती कि कम से कम जिनके घर दूसरों की जमीन पर बने हुए हैं उसका सर्वे कराकर उन गरीब हरिजनों के नाम से रसीद काट दी जाती तो मसला हल हो जाता। जब से मुझे भूदान के सिलसिले में गांव-गांव में घूमने का मौका मिला है तो मैंने भूदानियों से यह अपील की है कि आप जो उपजाऊ खेत भूदान में देते हैं वह तो अच्छा है ही किन्तु अगर आप, जिन पर हरिजनों का घर बना हुआ है, उसे भूदान में दे दें तो और भी अच्छा होगा। तो जमीन मालिक की ओर से कहा गया कि अगर हम उस जमीन को भूदान में दे देंगे तो वे हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारे काबू से बाहर हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय तो आप देखें कि इससे कैसी मनोवृति का पता चलता है। आज भी देहात में बेगारी प्रथा चालू है।

अध्यक्ष महोदय, इससे पता चलता है कि लोगों की मनोवृति क्या है और यह कोई कागजी बात नहीं है, दिमागी बात नहीं है। जो व्यवहार हम दिहातों में देख रहे हैं उसका मैं ब्यान कर रहा हूं।

अध्यक्ष—वह कैसी जमीन है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—वह जमीन जिराती काश्त है।

अध्यक्ष—क्या वह जमीन सरकार के कब्जे में है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—उस जमीन पर गरीबों लोगों के घर बने हुए हैं। वह जमीन जमींदारों के कब्जे में है।

अध्यक्ष—क्या उनके काश्त में भी रैयती जमीन है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो जमीन ऐसी हैं जिनपर गरीब लोगों के घर बने हुए हैं वे मालिकों की जमीन कहलाती है। उनके पास १०, १५ और २० बीघा जमीन नहीं है। वस्तुस्थिति ऐसी है कि उनकी जमीनों पर मालिकान अपना जोर देते हैं और उनपर मुकदमा भी चलाते हैं, जो वहुत दिनों तक चलता है जिसके कारण उन लोगों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द सर्वे करा दिया जाय।

अध्यक्ष—इसमें कानूनी दिक्कत क्या है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—कानूनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिये यह कह रहे हैं कि कानून से आपने सिक्युरिटी दी है किन्तु अमल में सिक्युरिटी नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि उस जमीन का सर्वे जल्द से जल्द हो जाय।

अध्यक्ष—इस काम को तो कर्मचारी भी कर सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—इस काम को कर्मचारी क्या एस०डी०ओ० वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई उनकी जमीन पर जाता है तो जमीन का मालिक जो होता है तो उन गरीब लोगों के घरों को लूटने आता है, लाठी चलाने आता है। जब गरीब लोग इस घटना की खबर लिखकर देते हैं तो इसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जज के पास वे घटना की खबर देते हैं तो उसका कोई फैसला नहीं किया जाता है। हुजूर यही व्यवस्था है, यह हमारा तजुर्बा है। इसलिये सरकार से हमारी यह मांग है कि उन जमीनों की पैमाइश होनी चाहिये, इसके बाद उन लोगों के नाम से रसीद काट देनी चाहिये। हमारी सरकार जो काम करती है वह हाफ हार्टेड करती है, जो कानून वह बनाती है उसे अमल में लाना चाहिये। जिन गरीबों का घर बना हुआ है उस जमीन का सर्वे जल्द से जल्द होना चाहिये और उन लोगों के नाम से रसीद काट देनी चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री कपिलदेव सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड ऐक्ट को बिहार प्रान्त के सभी नोटिफायड एरिया में लागू किया जाय और उसमें श्री मिश्री सिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सन् १९४७ में इसी हाउस में माननीय राजस्व मंत्री ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि:

"The Central idea of this Bill is that the labourers in rural areas among whom are included Harijans, artisans, potters, black-smiths, carpenters, etc., who get land from the landlords for building purposes and render service to them in return should not be at the mercy of the landlords and must not be turned out when the landlords are displeased with them."

अध्यक्ष महोदय, उस समय के माननीय राजस्व मंत्री ने इस बिल को उपस्थित करते हुए जो बतलाया था उससे साफ जाहिर होता है कि वे चाहते थे कि जो गांवों में गरीब बसे हुए हैं, जिन जमींदारों या बड़े-बड़े किसानों की जमीन पर वे बसे हुए हैं वे कम मजदूरी में उनके यहां काम करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति हो गयी है, मुल्क आजाद हो गया है, लोगों में नयी भावना जग गयी है, इसलिए मालिकों में यह भय हो गया है और इसीलिये वे इनको निकालने की कोशिश करेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय राजस्व मंत्री द्वारा इस बिल को उपस्थित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह बिल उस समय सदन द्वारा पास भी हो गया था:

"privileged person" means a person—

(1) who is not a proprietor, tenure-holder, under tenure holder or a Mahajan; and

(2) who decides his homestead, holds no other land or holds any such land not exceeding one acre".

अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रिविलेज्ड परसन की परिभाषा बतलाते हुए इसके क्लाज २ में यह कहा गया है कि जो गरीब आदमी गांवों में रहते हैं और जिसको एक एकड़ से कम जमीन है या उसके पास कोई दूसरी जमीन नहीं है वह वहां घर बनाकर बसा हुआ है तो उसको उस घर से कोई निकाल नहीं सकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने इस कानून को लागू किया था और इस कानून के जरिये सारे राज्य में इसको परिचारित किया था। उसके बाद सरकार को इस कानून में जो खामियां मालूम हुई उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने १९५४ में अमेण्डमेंट (संशोधन) लाकर कलक्टर को अधिकार दिया था कि अगर किसी गांव में कोई गरीब निकाला जाय तो कलक्टर इसकी सूचना पाने पर उसकी मदद करेगा। अगर १ साल पहले भी किसी गरीब को उसके घर से निकाल दिया गया है तो उसको भी दखल कराने का अधिकार कलक्टर को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मंशा पर कोई शक करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं सरकार का ध्यान और माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए श्री रामदेव सिंह ने बड़हिया का जिक्र किया है। जिस गांव से मैं आता हूं उस गांव में यह कानून नहीं लागू होने के कारण ऐसा होता है जिसका जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। इसमें यदि दो चार मिनट अधिक समय लग जाय तो अध्यक्ष महोदय मुझे क्षमा करेंगे। सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। अंचलाधिकारी श्री सीताराम प्रसाद ने कलक्टर को लिखा था कि:

"The usual tactic adopted by the land owners concerned is to file suit for house rent against the tenants who are usually very poor. On the dates fixed at Monghyr, the land owners generally try to obtain adjournments on one ground or the other so that the poor tenants are harassed on a number of dates and so, being unable to fight out the case properly, gives up any further attempt in court. The land owners then try to obtain decrees ex parte".

इसके आगे उन्होंने लिखा:

For instance, against three persons, namely, (1) Pathal Kahar, son of Tulsi Kahar, (2) Tulsi Kahar, son of Chuaman Kahar, there was a suit for house rent which probably ended in ex parte decree in favour of the so-called land owner Matadin Jagnani, proprietor of Shri Shanker Mills.

यह अंचलाधिकारी का रिपोर्ट है। आगे उन्होंने लिखा था:

"It is only when a civil court peon comes asking a particular tenant to vacate the house that people know that an ex parte decree has been obtained".

इसको दो अंचलाधिकारियों ने लिखा था:

These poor persons due to their ignorance and poverty could not represent their cases in civil court with the result that some of the ex-landlords (such as Mahabir Pd. Jagnani and the co-sharer ex-landlords) got decree against these persons."

इसके निराकरण के लिए उस अंचलाधिकारी महोदय ने कलक्टर को लिखा था:

"I suggest that relief under Land Reforms Act should be given and after proper survey of their houses with exact area of land occupied by them their names should be entered in Register II/a and proper rent receipt should be given to them which will go a long way in asserting their claims over their ancestral houses. These records will also be a substantial proof in respect of possession which will go in evidence in any civil and criminal cases".

दूसरा उन्होंने सुझाव देते हुए लिखा था:

"Since the Bihar Privileged Persons Tenancy Act is inoperative in notified area committee no action can be taken under section 6 of the said Act".

इससे यह साफ जाहिर होता है कि बड़हिया जैसे गांव में, जिसकी आबादी २५, ३० हजार है, नोटिफायड एरिया कमिटी है। वहां यूनियन कमिटी थी। सारे बिहार में २७ नोटिफायड एरिया कमिटी है। उसमें लक्खीसराय, बेगूसराय और बड़हिया भी है। बेगूसराय तो सबडिवीजनल हेडक्वार्टर्स है। उसके साथ दो तीन गांव शामिल हैं। लक्खीसराय के साथ भी एक दो गांव हैं। बड़हिया गांव बहुत बड़ा गांव है। उनमें बहुत बड़े-बड़े जमींदार रहते हैं। उस गांव की बहुत बड़ी आबादी है। उसमें आधी आबादी पिछड़ी जाति के लोगों की है। जिस जमीन पर ये बसते हैं उसपर से उनको उजाड़ा जा रहा है। इस कानून के नहीं रहने से उन गरीबों के ऊपर नालिश की जाती है। जेठ की दुपहरिया, भादो की वर्षा और पूस-माघ की ठंढक में वहां की गरीब जनता आधा पेट खाकर अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में निवास करती थी उसको भी आज छीना जा रहा है। उनके ऊपर केस करके मालिक लोग रेन्ट के बाबत डिग्री करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के कितने केस हैं जिनमें मालिकों की डिग्री हो चुकी है।

केस नं० ३६/१९५७ जो फिरंगी पासी का है और केस नं० ३७/१९५७ जो सीताराम मिस्त्री का है और इस तरह के १५ केस हैं जिनमें मालिकों की डिग्री हो चुकी है।

अध्यक्ष—जब इस तरह की बात है और मालिक लोग जीत जाते हैं तो इसके लिए इस प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो कानून में संशोधन करके काम करना पड़ेगा।

श्री कपिलदेव सिंह—जो ऐक्ट बना है उसमें जहां एक्जेम्प्ट किया गया है वह नोटिफायड एरिया कमिटी में और म्युनिसिपैलिटी में नहीं लागू होगा। उसको अगर सरकार चाहे तो लागू कर सकती है।

अध्यक्ष—सेक्शन ३ में है कि यह ऐक्ट म्युनिसिपैलिटी में, नोटिफायड एरिया और यूनियन कमिटी में लागू नहीं होगा। इसलिए इस विधेयक में संशोधन लाना होगा।

श्री कपिलदेव सिंह—यह तो अंचलाधिकारी की बात थी। मेरे यहां जो केस चलता है वहां नोटिफायड एरिया कमिटी है। उस कमिटी से गरीबों पर उनके होल्डिंग का टैक्स लगाया जाता है। और उसने उसकी रसीद भी दे दी। सबडिवीजन के एस० डी०ओ० एक्स आफिसियो, उस कमिटी के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन ने दरखास्त दी कि हमारे नाम से रसीद दी जाय। इस संबंध में एस०डी०ओ० ने एक जजमेंट (फैसला) दिया है। मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ देता हूं जो २५ जनवरी १९५५ को दिया गया था:

"In village area, there is no such system of letting out houses on rent and I have seen the houses which cannot be presumed to have been constructed by the petitioners. They are Kutcha one fit for habitation of only extremely poor persons. The 1st party belong to the backward class, and the houses must have been constructed by them. The Basauri rent receipts produced by them also go to show this.

I would, therefore, reject the objection petition and hold that the assessment has rightly been made in the names of Ramsahay Tatwa, Govind Jha and Bidesi Pandit."

यह तो एक गरीब आदमी की हालत है। उसमें उनके एस०डी०ओ० फैसला करते हैं कि उस ततमा के नाम से रसीद काटनी चाहिये। लेकिन होता क्या है कि गरीब पर मुकदमा चलाया जाता है और मेरे जैसे आदमी जाकर सिविल कोर्ट में गवाही दे देते हैं। वे तो गरीबी के कारण पैसे भी नहीं खर्च कर सकते हैं, वे नासमझी के चलते, पैसे की कमी के चलते कोर्ट में जाकर हार जाते हैं। इसीलिये मैं इस सदन में जो प्रस्ताव अभी पेश है उसका समर्थन करता हूं। मोकामा में भूमिहारों की बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं और वहां गरीब लोग भी रहते हैं। बड़हिया, लखीसराय और बेगूसराय में नोटिफायड एरिया कमिटी है लेकिन इन जगहों में भी इस कानून के द्वारा गरीबों को मदद नहीं मिलती है। सरकार को चाहिये कि इस कानून के द्वारा जल्द से जल्द लोगों को मदद मिले, इसकी व्यवस्था करे। बड़हिया के लोग परेशान हैं जैसा कि श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है। उन्होंने बोलते हुए कहा है कि वहां एक आदमी का घर उजाड़ दिया गया और रातों-रात फेंक दिया गया। मेरे यहां भी एक आदमी का घर दिन में दो बजे उजाड़ दिया गया और उसकी छत पर

उसके थाली-लोटा यानी जितने सामान थे उसे और उसके परिवार के आदमियों को करीब चार कोस पर ले जाकर छोड़ दिये और उसे पांच दिन तक लापता रखा गया। इस बीच में उसके घर वाली जमीन को जोत कोड़ कर बारी बना दिया गया। मेरे इलाके में जो हो रहा है उससे केवल मेरे ही इलाके में नहीं बल्कि और जगहों में उससे लोग परेशान हो उठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार, इतने बड़े पैमाने पर गरीब लोग जो अपने घर तथा झोपड़ियों से बेदखल किये जा रहे हैं, उनको दखल दिलाने का अथवा कायनी हक दिलाने का कोई उपाय जल्द से जल्द करेगी। सरकार जरूर कोई ठोस कदम अविलम्ब उठायेगी और रास्ता लोगों के सामने साफ कर देगी। इन्हीं शब्दो के साथ श्री रामदेव सिंह का जो प्रस्ताव है और उसपर जो श्री मिश्री सिंह का संशोधन है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस सदन द्वारा उसे पास किया जायगा।

अध्यक्ष—क्या सरकार अभी इसका उत्तर देना चाहती है?

श्री विनोदानन्द झा—अगर आज्ञा हो तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष—सरकार को जवाब देने का दो बार अधिकार है। अभी भी जवाब दे सकती है और पीछे भी।

*श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ सदस्यों को दाद देना चाहता हूं जो इस बिल के बनाने वाले हैं और उन्हें जिन्होंने मिहनत करके इसे बनाया है और मेरा दावा है कि इससे नफा हो रहा है। इसके साथ दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि नोटिफायड एरिया कमिटी और यूनियन कमिटी को इस ऐक्ट से क्यों एक्सक्लूड (अलग) किया गया? दूसरी चीज यह है कि किन कारणों से इस बिल को बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस बंध में मैं स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स पढ़ देता हूं:

"It is, therefore, desirable that the rural landless labourer and artisan class should be given security with regard to their homesteads by providing that they should be allowed to hold the homesteads on a permanent basis on payment of fair and equitable rents which can only be increased on stated and good grounds such as increase in area. The Bill also lays down definitely the only grounds on which a tenant of this class can be ejected from his homestead holding. The Bill in short seeks to give to the above class of people the same rights in their homesteads as are enjoyed by raiyats under the relevant sections of the Bihar Tenancy and C. N. Tenancy Acts."

इस सेक्शन को भी जिसको परिवर्तित करने के लिये अभी यह प्रस्ताव आया है तो इस संबंध में भी काफी वादविवाद के बाद उस वक्त सरकार ने खासकर राजस्व मंत्री ने इस चीज को कबूल किया कि नोटिफायड एरिया कमिटी में या म्युनिसिपल एरिया में इसको लागू नहीं करें। इसका कारण क्या था? पहला कारण यह है कि

प्रिविलेज पर्सन्स कौन हैं? जो किसी किसान के यहां, जमींदार के यहां मजदूरी करते हैं या इसी तरह के कोई काम करते हैं उन्हें इस छूट में रहने के लिये घर मिल जाता है। अब जो चीज जरूरी है वह यह है कि ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर रखना चाहिये या ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर उन्हें मकान बना देना चाहिये। प्रिविलेज पर्सन्स वही हैं जिन्हें अधिक से अधिक एक एकड़ जमीन है। नोटिफायड एरिया में म्युनिसिपल एरिया से ज्यादा ऐग्रीकल्चरल लैंड है और म्युनिसिपल एरिया में होमस्टेड लैंड ज्यादा है चूंकि ओभरक्राउडिंग है। इसलिये यहां यह कहना कि अधिक से अधिक एक एकड़ जमीन वाले को प्रिविलेज पर्सन्स कहा जाय यह ठीक नहीं है। वहां घनी आबादी रहने के कारण उसको होमस्टेड बनाने में, उसकी कीमत में, उसको कानूनी होमस्टेड कायम रखने में या उसकी घटती या बढ़ती के लिए, इन कानूनों को मद्देनजर रखते हुए यह देखना है कि कितनी कठिनाई है। शहर की स्थिति और देहात की स्थिति में फर्क है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—शहर में नोटिफायड एरिया कहां है?

श्री विनोदानन्द झा—आपके सामने तो सिर्फ यही एक केस है लेकिन नोटिफायड एरिया जमशेदपुर में है, डालमिया में है। नोटिफायड एरिया और म्युनिसिपैलिटी में फर्क क्या है? म्युनिसिपल ऐक्ट के मुताबिक दोनों गवर्न (शासित) होते हैं। चुनाव इत्यादि भी कुछ संकुचित रूप में नोटिफायड एरिया कमिटी में लागू होता है। वही एरिया नोटिफायड बनाया जाता है जिसको म्युनिसिपैलिटी में परिणत करना रहता है।

अध्यक्ष—इसलिए नोटिफायड एरिया में भी प्रिविलेज्ड पर्सन्स की डेफिनीशन लागू की जाय तो क्या हर्ज है? एक बीघा में तो घर हो नहीं सकता है। घर है और घर के अलावे कुछ और जमीन जो एक एकड़ से अधिक नहीं है, और इसी हालत में वह आदमी प्रिविलेज्ड पर्सन कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में नोटिफायड एरिया में भी इसको क्यों नहीं लागू किया जाय?

श्री विनोदानन्द झा—होमस्टेड जमीन में थोड़े ही में मालिक और किरायादार दोनों ही रहते हैं। गोगरी यूनियन कमिटी में एक दोमंजिला मकान है पांच कट्ठे में। उसमें नीचे में दो फैमिली (परिवार) के लोग रहते हैं। किरायादार और मालिक और उनके नौकर भी एक हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे इसको लागू किया जाय। जिस क्लास (वर्ग) के लोगों को रिलीफ देना है उनको रिलीफ देने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उनका एक दूसरे क्लास (वर्ग) के लोगों के साथ मुकदमेबाजी बढ़ जाय। इसलिए उन्होंने इसका बहुत एलाबोरेट तरीके पर डिस्कशन किया है।

अध्यक्ष—किरायेवाले मकान के लिए तो आपने एक अलग कानून बना दिया है है कि किरायादार को नहीं हटाया जा सकता है।

श्री विनोदानन्द झा—जहां तक हमने अपने मित्र की बातों से समझा है वे दो चीजों को चाहते हैं। पहली चीज है कि होमस्टेड हो जाने से कलेक्ट्रेट में जायगा। दूसरी चीज है कि म्युनिपैसिलिटी की रसीद उनको मिल जायगी, नोटिफायड एरिया में हो जाने पर।

इन दोनों चीजों के उपलब्ध हो जाने के बाद यह रेंट और लीज ऐक्ट के अन्दर आ जाता हैं।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I would like to know from the Hon'ble Minister whether the Tenancy Act can be applied in the municipal or notified area. I think that the Act is meant for rural area only. So, I want to know from the Hon'ble Minister whether that Act can be applied in the rural area.

Shri BINODANAND JHA : The Bill seeks to give the right to the tenants which has been enjoyed by them up till now under the Bihar Tenancy Act, but this Act does not apply there. Section 3 runs as follows :

"(3). *Local extent.*—It shall extend to the districts of Patna, Gaya, Shahabad, Muzaffarpur, Saran, Champaran, Darbhanga, Bhagalpur, Monghyr and Purnea, except any area constituted, or deemed to have been constituted, a municipality, under the provisions of the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922."

जहां म्युनिसिपल ऐक्ट है वहां टेनेन्सी ऐक्ट नहीं लागू होगा। प्रिविलेज्ड पर्सन्स या प्रिविलेज्ड टेनेन्टस को हमलोग यह नहीं कहते हैं कि वह मालगुजारी नहीं दे। हमलोग चाहते हैं कि देहात के खराब वातावरण रहने के कारण लेंडलोर्ड्स (जमीन्दार लोग) अपने टेनेन्टस को उसके घर से निकाल न दे और उनका राइट एस्टेबलिश्ड (अधिकार कायम) रहे।

अध्यक्ष—और जहां कि यह कहते हैं कि मकान हमारा है, किराये पर दिया है, मकान से निकाल देंगे उसकी परिस्थिति क्या होगी?

श्री विनोदानन्द झा—जबतक कोर्ट का आर्डर या मुंसिफ की डिग्री, या रेंट कंट्रोलर का हुकुम न रहे, तबतक ऐसा नहीं किया जा सकता है। जिस केस में लाफुल आर्डर नहीं लिया गया है उसकी जांच की जायगी।

अध्यक्ष—प्रिविलेज्ड पर्सन्स बहुत वीक (कमजोर) होते हैं, इसलिए उसका अन्ड्यू एडवांटेज (नाजायज फायदा) लिया जा सकता है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अगर १०० वर्ष से भी रहता हो तो उसको निकाल दे सकते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—सरकार का यह लिखित आदेश है कि जहां पर इस तरह का नाजायज काम हो उसमें मुफ्त सहायता सरकार की तरफ से मुकदमें में दी जायेगी।

श्री कर्पूरी ठाकर—आपकी यह सहायता की बात केवल कागज पर ही है।

अध्यक्ष—आपने कितने केसेज में सहायता मांगी है?

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, अगर इसके बरतने का तरीका खराब है तो फिर आप इसके दायरा को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप इसके मिठास को भी जानते हैं और बदनाम भी करते हैं यह दोनों अजीब सी बात आप यह भी कहते हैं कि यह कानून ठीक से नहीं चल रहा है और इसके दायरे को बढ़ाना भी चाहते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अबतक आपने कितने लोगों को सहायता दी है?

श्री दारोगा प्रसाद राय—आपका जवाब संगत नहीं रखता है। अगर आप इसको नहीं चाहते तो एक्सटेंड (बढ़ाना) क्यों करना चाहते हैं?

श्री कर्पूरी ठाकुर—हम अपने राइट (अधिकार) को असर्ट करते हैं?

Shri BINODANAND JHA : This is a right absolute and independent of other people, the right governed by local laws, fundamental laws and social laws.

एक रफ्तार से हम दौड़ नहीं सकते हैं। हमेशा कानून ऐसे ही ढंग से बने जो आप पसन्द करें ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे कानून हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक उतरे, इसकी हम सभी ख्वाहिश करते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने बड़हिया के केस के मुतल्लिक कहा कि किस तरह का जुल्म वहां हुआ है।

श्री विनोदानन्द झा—अगर सेशन्स जज के फैसले के अनुसार उसको सजा हो गयी तो इसमें उसको दंड मिल ही गया। हमने एक बड़े आदमी को प्रोजिक्यूट किया और २।। वर्ष आसामी बनाकर रखा। तो इससे अधिक और क्या उम्मीद की जा सकती थी। क्या आप यह चाहते हैं कि प्रेसक्राइब्ड अथोरिटी ऐसा बना दें कि बस एक ही तरह का फैसला दे? हमारे यहां हर एक किस्त में रिपोर्ट आती है। हमारे पास फिगरें (आंकड़े) हैं कि सितम्बर तक १,०७७ केसेज में १७२ केसेज का डिस्पोजल हो गया। हर ६ महीने में इस तरह का स्टेटमेन्ट आता है। अफसर जाकर यह देखते हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी है या नहीं।

हमारे यहां दो कठिनाइयां हैं जिसके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। पहली कठिनाई तो यह है कि म्युनिसिपल एरिया में टेनेन्सी ऐक्ट लागू नहीं है और इसी ऐक्ट पर सारी चीजें अवलम्बित हैं।

दूसरा जो सवाल है वह मुझे भी खटकता है और उसपर राय लेना जरूरी है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं शुरू में ही राय ले लिये होता। यूनियन कमिटी भी अपनी टाइप (तरह) की एक कमिटी है जो कि रूरल एरिया (दिहाती क्षेत्रों) में फंक्शन (काम) करती है। जैसे गोगरी, अररिया यूनियन कमिटी है और यह वहां पर फंकशन (काम) कर रही है। जमुई पहले यूनियन कमिटी थी। एक पासवान के केस के बारे में हमारे मित्र श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसी जगहों में जहां यूनियन कमिटी है, वहां पर इस कानून को क्यों रोका गया और इसको एक्सटेन्ड करने (बढ़ाने) में क्या दिक्कत हुई

जिसकी वजह से इसका मकसद पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में मैं एक्जामिन (जांच) करूंगा। यूनियन कमिटी के बारे में जो कहा गया है वह काबिले एक्जामिन (जांच) करने की चीज है और इसके लिये मैं अपने सलाहकारों से राय लूंगा और मैं खुद इसकी जांच करूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—नोटिफाइड एरिया जहां पर फंक्शन (काम) करती है वहां पर आप इसको लागू कर सकते हैं या नहीं?

श्री विनोदानन्द झा—नोटिफाइड एरिया में तो बिहार टेनेन्सी एक्ट जारी रहेगा।

श्री कपिलदेव सिंह—बड़हिया तो देहात है।

श्री विनोदानन्द झा—मैं बड़हिया के बारे में भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आपको कहने की जरूरत नहीं है। यह प्रस्ताव श्री रामदेव सिंह का है।

श्री राम नारायण मंडल—हुजूर इस प्रस्ताव पर मुझे भी बोलना है।

अध्यक्ष—अगर आप कुछ कानूनी मदद देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री राम नारायण मंडल—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज्ट परसन्स एक्ट के संबंध में कुछ गलतफहमी हो रही है उसी के बारे में मैं कहूंगा। बिहार टेनेन्सी एक्ट में रैयत को डिफिनिसन (परिभाषा) दी हुई है। उसके मुताबिक रैयत उसको कहते हैं जो जमीन जोतने के लिये बन्दोबस्त लेता है और इस एक्ट (प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड टेनेन्सी एक्ट) में प्रिविलेज्ड परसन्स की भी डिफिनेसन (परिभाषा) है। प्रिविलेज्ड परसन्स उसको कहते है जिसके पास कुछ जमीन नहीं है या जिसके पास एक एकड़ जमीन है, बसने के लिये।

अध्यक्ष—बसने के लिये का क्या माने है?

श्री राम नारायण मंडल—होमस्टेड का माने तो हम यही समझते हैं कि एक एकड़ जमीन हो उसी में बसे और जो करे।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि एक ही एकड़ जमीन में वह बसे या खेती करे उसी को होमस्टेड माना जायगा। एक एकड़ के बाद जो जमीन होगी वह उससे ले ली जायगी यानी एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती है।

श्री राम नारायण मंडल—हुजूर, म्युनिसिपल एरिया नोटिफाइड एरिया में यह एक्ट एक्सटेन्ड नहीं किया गया है। नोटिफाइड एरिया में तो बिहार टेनेन्सी एक्ट नहीं लागू है। बिहार टेनेन्सी कानून के मुताबिक जो लोग जो जमीन बन्दोबस्त लेते हैं उनको टेनेन्सी राइट तो मिल ही जाती है। होमस्टेड टेनेन्सी के लिये दफा

१८२ बिहार टेनेन्सी एक्ट के मुताबिक रैयतों को अधिकार प्राप्त है। म्युनिसिपल एरिया या नोटिफायड एरिया के वसोवास जमीन में रैयती हक नहीं होता है। उसमें हक टेनेन्ट को कन्ट्रेक्ट के मुताविक होता है। वादा खत्म होने पर उस जमीन से बेदखल हो सकते हैं। इसलिए मेरे विचार में प्रिविलेज्ड परसन होमस्टेड कानून को नोटिफाइड एरिया में लागू नहीं करना चाहिए।

SPEAKER : A privileged person does not claim anything more than this—a house to live in and some land to cultivate.

जमीन के लिए अगर कुछ मालगुजारी भी देनी पड़ी तो वह भी दे दे।

श्री रामचरित्र सिंह—हुजूर, पहले जमीन्दार लोग थे लेकिन अब तो सरकार उनकी जगह पर जमीन्दार है इसलिए इस चीज को देखना अब सरकार का काम है।

अध्यक्ष—हां, यह तो कंप्लिकेशन (उलझन) है, जमीन्दारी मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है। अगर जमीन्दारी कचहरी ठीक तरह से काम करे तो इन सब बातों की जरूरत ही नहीं हो।

श्री रामनारायण मंडल—हुजूर, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा यह प्रिविलेज्ड परसन्स एक्ट उनलोगों के लिए है जो दिहातों में रहते हैं और खेतीबारी करते हैं, कोई अन्य रोजगार करते हैं और उनके पास अपनी लेंड नहीं है और दूसरे के जमीन पर बसे हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन (रक्षा) के लिए यह कानून बना था। इसलिए नोटिफायड एरिया में इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए इसलिए कि इससे बहुत गबड़बड़ी होगी, और इससे परपस सर्व (उद्देश्य पूरा) नहीं होगा। म्युनिसिपल तथा नोटिफायड एरिया में सफाई का जो काम हो सकता है वह इसके लागू करने से नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि म्युनिसिपल तथा नोटिफायड एरिया के जो कानून हैं उन्हीं से काम लिया जाय।

अध्यक्ष—मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से सेकेन्ड रिप्लाई (द्वितीय उत्तर) दिया जाय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस पर और एक्जामिन (छान बीन) करके डिसीशन (फैसला) ले तो क्या हो।

श्री विनोदानन्द झा—हुजूर, मैंने निवेदन किया और फिर दुहरा रहा हूं कि जहां तक यूनियन कमिटी का मामला है, उसमें हमारा जवाब साफ है। कुछ कम्प्लिकेशन्स (उलझनें) हैं। हमारे दोस्त श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जो कहना है, मैं इसका एक्जामिन (जांच) करूंगा, लेकिन जहां तक म्युनिसिपल और नोटिफायड एरिया का संबंध है वहां यह चीज नहीं हो सकती है। जैसे, आप बढ़ईया का बात लें कि वहां सेट्लमेन्ट हो लेकिन लोकल बोर्ड की बात बीच में ऐसी आ जाती है कि एक टुकड़ा में सेट्लमेन्ट नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां-जहां लोकल एरिया है वहां कुछ ऐसी चीजें निकालो जायं जिससे सामाजिक स्थिति अच्छी हो तो हम उसे एक्जामिन करेंगे। और भी कानून हैं जैसे रेन्ट कंट्रोल एक्ट है और दूसरी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सामने रखकर एक उसी टाइप की चीज लावे तो हम उसपर विचार करेंगे। लेकिन जहां तक

प्रिविलेज्ड प्ररसन्स होमस्टेड एक्ट का सरोकार है, शहरी और रूरल एरिया (दिहाती क्षेत्र) दूसरी-दूसरी चीज है। इसलिए नोटिफायड एरिया और म्युनिसिपल एरिया में लागू करने से जितना एडवान्टेज (फायदा) होगा उससे कहीं ज्यादा डिसएडवान्टेज (हानि) होगा। इसलिए मैं इसके साथ नहीं हूं लेकिन यूनियन कमिटी के लिए मैं इसे एक्जामिन (जांच) करूंगा।

श्री रामचरित्र सिंह—हुजूर, नोटिफायड एरिया में बहुत से लोग रहते आये हैं इसलिए उनके केस पर सोच विचार करके उन्हें प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है इसलिए कि अब जमीन्दारी खतम हो गई है।

अध्यक्ष—एक चीज होती है खानापूरी। किस-किस होल्डिंग में कौन-कौन रहता है इसकी जांच अगर सरकार की तरफ से हो जाय और खानापूरी हो जाय तो रैयत को हटाने की बात ही नहीं हो।

श्री रामचरित्र सिंह—हुजूर, जिस वक्त सर्वे हुआ था तो उसका खतियान होगा और उसमें सब कुछ मिल सकता है। सरकार को इसको देखना चाहिए।

SPEAKER : The mover of the resolution is not here. Will any member enlighten me on the point as to what should happen to the resolution if the mover is absent?

Shri BINODANAND JHA : Sir, when it has been moved it is after all the property of the House.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, there is no provision in the rules regarding such occasion. So the best thing would be to put it before the House.

अध्यक्ष—हां, यही सबसे अच्छा रास्ता है। मैं इस संकल्प को सदन के सामने रख देना चाहता हूं और इसपर राय लेना चाहता हूं। इससे पहले इसमें एक संशोधन दिया गया था जिसे मैं पहले पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

श्री रामदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द, "नोटिफायड एरिया" और शब्द, "में" के बीच शब्द, एवं "यूनियन क्षेत्र" जोड़े जायं।

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि:

यह सभा बिहार सरकार से सिफारिश करती है कि दी बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड एक्ट को राज्य के सभी नोटिफायड एरिया एवं यूनियन क्षेत्र में भी लागू करने की व्यवस्था करे।

यह संकल्प अस्वीकृत हुआ।